

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पतेन सहायक कलक्टर 335

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प 574/2077

- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता हुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं फरवारी 574/2077 व भू.अ.नि. 2077

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार की अनुशंसा के आधार

पर राजस्थान भू-उपखण्ड अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व

जिला को जमाबन्दी सम्बन्ध में खाता संख्या में वर्तमान में

दर प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	574/2077	28	अशुद्ध देवी पत्नी मालाराम	श्रीवती देवी पत्नी मालाराम
		112	लादूराम पुत्र पीपाराम	लेखराम पुत्र पीपाराम
		50, 127	पवन कुमार पुत्र गंगाधर	पवन कुमार पुत्र गंगाधर

प्रभाषी अतिरिक्त अधिकारी
पंचायत अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपपतेन सहायक कलक्टर

दिनांक :- 30/5/22

क्रमांक :- 65
प्रविष्टि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर

2. प्रार्थी को सूचना दी जायेगी।

3. रक्षित पत्रावली।

प्रभाषी अतिरिक्त अधिकारी
पंचायत अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पतेन सहायक कलक्टर